कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज

पत्रांक 1930 उदाकिशुनगंज, दिनांक 20/09/2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल– उदाकिशुनगंज ।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी –सह– सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– MR New Maintenance Policy 2018 योजना से संबंधित कार्यो के भुगतान हेतु आवंटन उपलब्ध के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त बिषयक संबंध में कहना है, कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल उदाकिशुनगंज में **MR New Maintenance Policy 2018** योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यो के भुगतान हेतु विहित प्रपत्र में अधियाचना पत्र तैयार कर समर्पित किया जाता है।

अतः अनुरोध है, कि आवंटन शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि संवेदक को भुगतान किया जा सके।

अनु0:–1. यथोक्त विहित प्रपत्र में।

विश्वासभाजन

20.09.22

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्यप्रमंडल उदाकिशुनगंज।

20/09/22

FORM GFR 19-A

Letter No- 1930 Date- 20/09/2022

(See Government of india's Decision (1) below Rule-150)

Form of Utilisation Certificate up to August .2022

MR New Maintence Policy 2018

Executive Engineer Rural Works Department Works Division Udakishunganj

Sl No	Name of Scheme	Sanction No.& Date with Amount (in Rs. Lacs)	Amount Received (in Rs. lac)	particulars
1	MR New Maintence Policy 2018	Authrorisation Letter No.-01 Dated 2.05.2022 Amount- 1198.93108 Lacs	1198.93108	Certified that Rs:-1198.93108 Lac received Till the date in favour of Executive Engineer, RWD Work Division Udakishunganj. A sum of Rs.978.41992 Lac has been utilized for the purpose of MR New maitenance Policy 2018 Scheme as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs.220.51116 Lacs remaining .
		TOTAL	**1198.93108**	

2. Certified that I have satisfied mayself that conditions on which the grants in -aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned. kind of checks exercised:-

(i) Works have been supervised by Executive Engineer

(ii) periodical inspection has been conducted by Executive Engineer

(iii) construction material have been tested.

(iv) Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer,

(v) All other codal formalities have been observed.

3. Physical progress achieved: as per progress report.

20/09/22

DAO
Rural Works Department
Works Division Udakishunganj

20.09.22

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division Udakishunganj

Requisition Format for Scheme Head - MR (3054) Under Bihar Rural Road maintenance Policy 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division : Udakishunganj

Sep-22

Sl.No	Package no	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (in Lac)		Agreement No & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in percentage	Previous Total Alloted Amount (I Lac)	up to date expenditure as per MIS (in Lac)	Requisition Against work done (In lac)	Remarks
					Length (In Km)	Amount (in Lac)	Initial Rectification with Surface Renewal (in lac)	5 years Routine Maintenance (In lac)										
1	RM/MA/UDA/20/0003	P.W.D Road Bhagipur to Bahaurwa Mushari	21004705003	5360/ 14.10.2019	2.100	36.67200	36.17700	19.59358	45 MBD/2020-21 Dt:- 09.06.2020	07.09.2020	06.06.2021	3405	25mm	5%	0	0	8.12511	Already CC pavement is in good condition due to this reason no need to construct the SBDC on CC Pavement
2	RM/MA/UDA/20/0003	PWD Khurhan chouk to Basanbara Khagriya sima	21004808039	5360/ 14.10.2019 Revised AA-115 Dt.03.06.2022	2.660	126.98000	98.08218	30.71612	45 MBD/2020-21 Dt:- 09.06.2020	07.09.2020	06.06.2021	3600	25mm	5%	0	0	87.15531	Agreement revised due to provision of BM
																Total	95.28042	

20/09/22

D.A.O
RWD Works Division
Udakishunganj

20.09.22

Executive Engineer
RWD Works Division
Udakishunganj
20/09/22

Name of Road:-PWD Khurhan chouk to Basanbara Khagriya sima

Agency:-Shree Shardha Construction Co Prop Suresh Kumar Sharma

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR		CATEGORY	IRI	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	UIV	ROAD				
30/ 05/ 22	11: 27: 41	117	0.1	310	0	3100	3654	G	4.8	25.58579	86.92003	Normal
30/ 05/ 22	11: 28: 0	117	0.1	320	20.2	3200	3767	G	4.93	25.58310	86.93274	Curve
30/ 05/ 22	11: 28: 16	117	0.1	300	30.3	3000	3540	G	4.66	25.58012	86.92281	Normal
30/ 05/ 22	11: 28: 27	117	0.1	310	40.4	3100	3654	G	4.8	25.58674	86.91984	Normal
30/ 05/ 22	11: 28: 31	117	0.1	290	30.3	2900	3426	G	4.53	25.58536	86.93383	Normal
30/ 05/ 22	11: 28: 52	117	0.1	300	30.3	3000	3540	G	4.66	25.58236	86.9281	Normal
30/ 05/ 22	11: 29: 0	117	0.1	330	30.3	3300	3881	G	5.06	25.58697	86.91987	Normal
30/ 05/ 22	11: 29: 11	117	0.1	330	30.3	3300	3881	G	5.06	25.58614	86.92023	Normal
30/ 05/ 22	11: 29: 27	117	0.1	300	30.3	3000	3540	G	4.66	25.58238	86.93231	Normal
30/ 05/ 22	11: 29: 38	117	0.1	310	30.3	3100	3654	G	4.8	25.60163	86.86247	Normal
30/ 05/ 22	11: 29: 47	117	0.1	270	20.2	2700	3199	G	4.26	25.60016	86.85035	Normal
30/ 05/ 22	11: 30: 2	117	0.1	260	20.2	2600	3086	G	4.13	25.60031	86.84936	Normal
30/ 05/ 22	11:30:11	117	0.1	280	20.2	2800	3313	G	4.4	25.60046	86.84852	Normal
30/ 05/ 22	11: 30: 27	117	0.1	300	30.3	3000	3540	G	4.66	25.60068	86.84771	Normal
30/ 05/ 22	11: 30: 38	117	0.1	310	30.3	3100	3654	G	4.8	25.60084	86.84685	Normal
30/ 05/ 22	11: 30: 47	117	0.1	300	40.4	3000	3540	G	4.66	25.60016	86.84599	Normal
30/ 05/ 22	11: 31: 0	117	0.1	340	40.4	3400	3994	G	5.19	25.60131	86.84507	Normal
30/ 05/ 22	11: 31: 11	117	0.1	320	40.4	3200	3767	G	4.93	25.60133	86.84426	Normal
30/ 05/ 22	11: 31: 23	117	0.1	320	30.2	3200	3767	G	4.93	25.60147	86.84338	Normal
					Average IRI		3600					

Y = 0 * X ^ 2 + 1.136 * X + 132.5
X = 3400
Y = 3994

(R) RURAL ROAD

Good	Average	Poor
<4000	4001-5000	>5001

Steco Analyzer

Name of Customer : Shree Shardha Construction Co

Name of Work/ Road : PWD Khurhan chouk to Basanl

Lab Job number

Date : 30-May-22

Section No. 117

Test Date : 30-May-22

Machine No : 380

Start S No :

Start E No :

Weather :

Start Location : Khurhan

End Location : Basanbara

Road Name : uk to Basanbara Khagriya sirna

Road Type : (R) RURAL ROAD

Side :

UIV Range : 2086 To 5000 Interval 1000 mm/km

Dist Range : 0 To 2 0.1 *1000 m

Equation : Y = 0 * X ^ 2 + 1.136 * X + 132.5

Print | Generate Report and Graph | Redraw Graph | Map View

File :D:\Bump Report\HS Mehta\1050941-2.xls, Section No. :117, Eqn : Y = 0 * X ^ 2 + 1.136 * X + 132.5

Name of Customer :Shree Shardha Construction Co, Name of Work/ Road :PWD Khurhan chouk to Basanbara

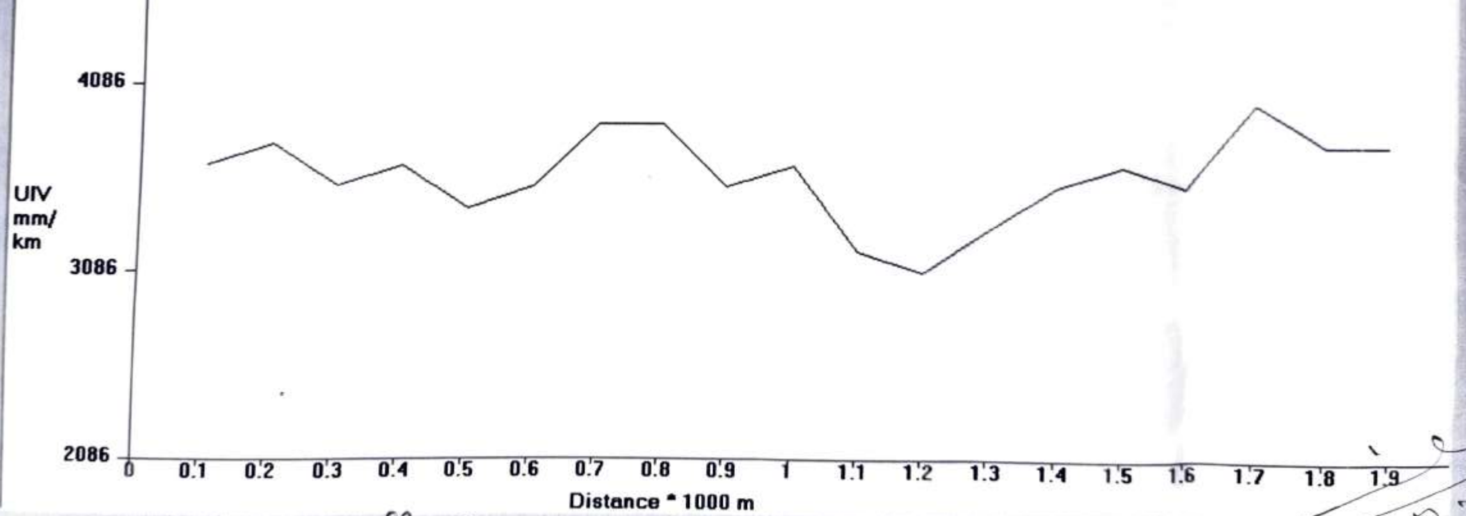

30/05/22 JE

30/05/22 AE

30.5.22

मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांक– 396 अ30
प्रेषक, /पटना,दिनांक– 12.07.22

ई0 अमरेन्द्र कुमार सिन्हा,
मुख्य अभियंता–2

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा।

विषय:– ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज के अधीन शीर्ष 3054 (MR) योजनान्तर्गत स्वीकृत 01 (एक) अदद पथ के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:– आपका पत्रांक–786 अनु0, दिनांक 30.06.2022 एवं विभागीय पत्रांक 115, दिनांक 03.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय प्रासंगिक पत्र के आलोक में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त 01 (एक) अदद योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। **योजना का नाम, पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग तथा पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' के क्रमशः स्तम्भ–2, 4 से 11 एवं 12 में अंकित है।**

2. **पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है, जो कि पत्र के परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 04 से 11 में अंकित है।**
3. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल/पुलियों स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पनी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलबध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मधेपुरा ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
8. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जॉच आप स्वयं कर सूचित करेंगें कि वह स्थल के अनुरूप हैं।
9. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. **मूल तकनीकी स्वीकृति प्रद्त प्राक्कलन इस पुनरीक्षित प्राक्कलन का भाग होगा।**
11. अधीक्षण अभियंता प्राक्कलन में प्रावधानित विभिन्न कार्यो से संबंधित मदों का परिमाण, दर एवं इकाई की अपने स्तर से जॉच कर लेंगें। **मूल एकरारनामा के दरों के आधार पर ही विभिन्न मदों के दर का निर्धारण सुनिश्चित किया जाय।** यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्य अभियंता को अविलंब सुचित करेंगे।
12. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

अनु0– परिशिष्ट ''क'' एवं स्वीकृत पुनरीक्षित प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन,
[signature] 12/7/22
मुख्य अभियंता–2

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नामः—परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 02 के अनुसार

पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंगः—परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 04 से 11 के अनुसार।

विवरणी

1. **पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशिपरिशिष्ट'क'** के स्तम्भ **12** में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य **3054 (MR)** योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकात्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, **मधेपुरा** की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वंय कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पुल/पुलिया कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकडा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगीः—
   प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
   अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन एवं प्री—लेवल निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण के लिए एस0क्यू0एम0 द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत प्राक्कलन के साथ संलग्न लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर किया गया एवं जमीन उपलब्ध है, इसे मानते हुए गणना की गयी है।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बाँध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एव स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में **Rural Roads SpecificationRural Roads Manual (IRC SP :20)** तथा **IRC SP :72** एवं **IRC SP :62** की विशिष्टि का अनुसरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरान्त ही निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में **3054 (MR)**योजना की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।

17. अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य से किसी भी तरह से विभागीय मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय–समय निर्गत ग्रामीण कार्य विभाग / **BRRDA**, बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।

18. स्वीकृत कार्य के विरूद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकुल घटा ली जाये।

19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।

20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय–सीमा के अनुरूप हो।

21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो ले कि एफ0एल0 बाढ़ स्तर के अनुरूप हो।

22. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण–नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन– ।। के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।

23. जिन कार्यों का दर अनुसूचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में केन्द्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरान्त प्राप्त करेंगे।

24. पूर्व में कराए गए कार्यों से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरान्त निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।

25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।

26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र–संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर प्रमाण–पत्र देंगे।

27. प्राक्कलन में प्रयुक्त तकनीकी आँकड़ों को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।

28. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग / अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर न्यूनतम दर का प्रावधान अधीक्षण अभियंता, सुनिश्चित करेंगे।

29. अधीक्षण अभियंता अपने स्तर से दर विश्लेषण की जॉच कर लेंगे। यदि त्रुटि हो, तो अपने स्तर से सुधार कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

मुख्य अभियंता–2
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांक 115, दिनांक 03.06.....

<u>परिशिष्ट 'क'</u>

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज के अधीन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत पुनरीक्षित प्राविधिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की सूची:–

sl no.	Name of Scheme	Length (in k.m)	Revised Administrative Approval									Revised T.S Cost (in Lakh)
			Department Ref Lett. No. / Date	Cost. Of Initial Rectification with surface Renewal (in Lakh)	Cost. Of 5 year Maint. (in Lakh)	Cost. Of Initial Rectification with surface Renewal + Cost. Of 5 year Maint. (In Lakh)	Initial Rect.+5 year Maint (After daducting Below Quoted Agreement rate (in Lakh)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakh)	Total Cost (in Lakh)	Below Quoted Agreement rate (in %)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	PWD Kharhau Chowk to Basanbara Khagariya Sima	2.660	115/03.06.22	87.596	30.747	118.343	118.225	8.759	126.98	0.10		118.225

Chief Engineer-2
R.W.D, Patna

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये — ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 — Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

AP 897995

परमानन्द सिंह
स्टाम्प बिक्रेता, मधेपुरा
ला० नं०-8/83

Supplementry Agreement No-……………MBD of 2022-23 of
Agreement No46MBD/2020-21

0.10 % below

Supplementry Agreement

This agreement, made the ------------------ day of ---------------------- ,between Executive Engineer **Rural Works Department Works Division Udakishunganj** (Hereinafter called" the Employer") of the one part, and **Shree Sharda Construction, Co Prop Suresh Kumar Sharma, At ward no 15 shastri Nagar shiv Mandir Road K Hat Purnea Bihar Pin-854301** . (Hereinafter Called "the contractor"of the other part) Whereas the employer is desirous that the Contractor execute the Supplementry Agreement for construction and five year maintenance for revised estimate **Under Packeg No- MRN19-20UDAKISHUNGANJ-06 (1) PWD khurahan chowk to Basanbara khagariya sima** (hereinafter called "the Works") of contract price and remedying of any defects therein at a cost of Rs- 35,68,849=00 (Cont Cost), Thirty five lacs Sixty Eight thousand Eight hundred forty Nine only

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS :

1. In this agreement, words and expressions shall have the same meaning as are respectively assigned to them in the conditions of Contact hereinafter referred to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of the agreement.

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज

E.E.
25/08/22